उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75–4/II–A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com, E-mail : lekhpal.up@gmail.com

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551–2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872–252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर–खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

* प्रभारी कम्प्यूटर *

बद्रीनाथ उपाध्याय
मो. 9450775146

सेवा में,

पत्रांक :

दिनांक 10.11.14

सम्मानीय अध्यक्ष/सचिव/संयोजक,
शाखायें/उपशाखायें
एवं समस्त सदस्यगण उ0प्र0 लेखपाल संघ।

उ0प्र0 लेखपाल संघ के 53वें स्थापना दिवस पर
केन्द्रीय/सर्वोच्च समिति की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनायें

प्रिय बन्धुवर,

प्रदेश में उ0प्र0 लेखपाल संघ ने एक अनुशासित, मर्यादित एवं अक्षुण्ण, सुदृढ़, गतिशील संगठन के रूप में अपनी पहचान बनायी गयी है, जिसका श्रेय आप सभी को जाता है। आप सभी के इन आचरणों का समय-समय पर प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन भी किया जाता रहा है और तद्नुसार लाभान्वित भी हुये हैं। संवर्ग की विभिन्न समस्याओं1 के सामयिक निराकरण के अभाव में संस्थागत निर्णयों के क्रम में प्रतीकात्मक, सांकेतिक समयबद्ध एवं चरणबद्ध आन्दोलनों में आप सभी द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गयी है, जिसके लिये प्रधान कार्यालय हृदय से सभी का आभारी है। वर्तमान सरकार में राज्य कर्मचारी अधिकारमंच बनाकर वृहद स्तर पर आन्दोलन पूर्व में किये गये थे जिसको मा0 उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया था परन्तु कर्मचारियों को आज तक कुछ भी नहीं मिला।

संस्था के द्वारा प्रदेश स्तरीय आयोजित धरना स्थल लक्ष्मण मेला पार्क लखनऊ में दिनांक 13.10.14 को आम सभा द्वारा निर्णय लिये गये थे, उनके अनुपालन में प्रदेश की तमाम उपशाखाओं द्वारा अपने निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन करने के सराहनीय प्रयास किये गये हैं, परन्तु खेद है कि एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् भी लगभग 30 से 35 प्रतिशत उपशाखाओं में अपेक्षानुसार अपने निर्णयों का अनुपालन नहीं कराया जा सका, जिसकी जांच भी विभिन्न माध्यमों से कराई गयी। आज भी तमाम ऐसी तहसील/जिले हैं जहां पर शतप्रतिशत रिक्त हल्कों के बस्ते नहीं जमा हो पाये हैं, प्रभारी राजस्व निरीक्षक मात्र दिखावटी रूप में ही कुछ हटे, रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में सम्बद्ध एवं कम्प्यूटर कार्य हेतु सम्बद्ध तमाम लेखपालों द्वारा संस्था विरोधी आचरण प्रकट करते हुए कार्य को नहीं छोड़ा गया। यदि किसी भी तहसील में पूर्ण रूप से बस्ता जमा हैं तो तहसीलों में एल0आर0-1 कैसे बन गये आदि बिन्दु भी विचारणीय हैं। शासन में आन्दोलन की स्थिति जनपदों में एल0आई0यू0 आदि के माध्यम से अपेक्षाओं के विपरीत कुछ दिनों से निरन्तर प्रेषित हो रही है। ऐसा क्यों? आन्दोलन के दौरान यदि यह कहा जा रहा है कि आन्दोलन गलत समय में किया गया है या यह कहा जाये कि खसरा खतौनी आदि का ही बहिष्कार होना चाहिए था। आन्दोलन के लिए एकदम से कठोर निर्णय ले लिये गये हैं। इन बातों से नेतृत्व का मनोबल गिराने के कुत्सित निन्दनीय

शेष पृष्ठ-2-पर

तर्कहीन प्रस्तुतीकरण किया जाना खेद जनक है। वर्तमान निर्णय प्रधान कार्यालय का नहीं है, अपितु आम सभा का था। प्रधान कार्यालय मार्गदर्शक की भूमिका के साथ-साथ संवर्ग के पक्ष को तर्कपूर्ण प्रस्तुतीकरण की भूमिका में ही रहकर सदस्यों को लाभान्वित कराने का भरसक प्रयत्न करता है।

प्रधान कार्यालय उन पदाधिकारियों/सदस्यों का विशेष रूप से आभारी है, जिनकी सक्रियता के कारण शासन/परिषद तथा पंचम तल पर जल्दी-जल्दी वार्ता हेतु प्रदेश पदाधिकारियों को निरन्तर आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से भिज्ञ हैं कि प्रदेश नेतृत्व का पूरा प्रयास शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त करने का रहा है। इसी कारण प्रारम्भ से कई वार्तायें भी विफल हुई। अन्तिम रूप में दिनांक 27.10.2014 को मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में शासन, परिषद, वित्त एवं कार्मिक विभागों के शीर्षस्थ अधिकारियों के मध्य संस्था शिष्ट मण्डल के साथ अभूतपूर्व 1 घण्टा 10 मिनट तर्कयुक्त वार्तायें हुईं और संस्था द्वारा सभी बिन्दुओं पर व्यापक तर्कयुक्त औचित्य रखे गये, जिन्हें सैद्धान्तिक रूप में शासन द्वारा स्वीकार भी किया गया, परन्तु कतिपय परिस्थितिजन्य उसे विधिक रूप में नहीं माना। **संस्था द्वारा पूर्व प्रेषित चार सूत्रीय मांगपत्र के बिन्दु संख्या-1 में ग्रेड वेतन बढ़ाने में वर्ष 1986 में हुए समझौते का उल्लेख करते हुए केन्द्र सरकार में विद्यमान पद के अनुरूप ग्रेड पे दिए जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से ग्रेड पे बढ़ाने का औचित्य नहीं माना गया, परन्तु इसी मांग के आंशिक भाग को स्वीकार करते हुए पेट्रोल भत्ता, स्टेशनरी व विशेष भत्ता में वृद्धि करने तथा सी0यू0जी0 नं0 व लैपटॉप देने की सहमति हुई। मांगपत्र मांग संख्या-2 में लेखपाल संवर्ग के पदों में से किसी भी प्रकार की कटौती किए बिना राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के मध्य 1:10 के अनुपात में 1308 राजस्व निरीक्षक के नए पदों के सृजन एवं इन पदों में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के स्थान पर पोषक संवर्ग से विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति करने की ऐतिहासिक सहमति हुई। यह मांग संस्था द्वारा विगत लगभग तीन दशक से की जा रही थी। मांग संख्या तीन में उल्लिखित 8000 लेखपालों के पदों को अतिशीघ्र भरने की कार्यवाही गतिमान है। मांग संख्या 4 शैक्षिक योग्यता बढ़ाने व नियुक्त अधिकारी बदलने की मांग सप्तम वेतन आयोग में रखने की बात कही गयी है। उक्त निर्णयों की कार्यवृत्त जो संस्था को दिनांक 10.11.2014 को प्राप्त हुई है। संस्था की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।** सहमति के बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु परिषद स्तर से प्रस्ताव अतिशीघ्र भेजवाने के प्रयास जारी है। इस प्रकार बिना कुछ खोये आपको उक्त सफलतायें प्राप्त हुई हैं। प्रधान कार्यालय आप सभी को पूर्ण रूपेण आश्वस्त करता है कि जो मांगे शासन स्तर से स्वीकार नहीं की गयी हैं उन्हें संस्था एजेन्डे से नहीं हटाया जायेगा, अपितु

शेष पृष्ठ-3-पर

निरन्तर उन मांगों पर राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर कार्यवाही करवाकर लाभान्वित कराने हेतु प्रयास जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में नये शासनादेश के जारी होने के पश्चात् से सभी साथियों को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ 16 वर्ष की सेवा पर ही मिलने से काफी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

कृषि गणना मानदेय 1000/-रू0 प्रति राजस्व ग्राम का शासनादेश, पशुगणना के मानदेय की जनपदवार धनराशि, क्राप्स कटिंग मानदेय वर्ष 2012 तक जनपदवार धनराशि, क्राप्स कटिंग मानदेय दुगने होने का शासनादेश, किसी भी सम्बद्ध लेखपाल से र0का0 पद का कार्य न लेने विषयक शासनादेश, प्रभारी राजस्व निरीक्षक नियुक्ति न करने विषयक परिषदादेश, किसी भी रजिस्ट्रार कानूनगो को नायब तहसीलदार/वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक की उपलब्धता में सहायक भू-लेख अधिकारी का प्रभार न दिये जाने विषयक अनुस्मारक परिषदादेश, किसी भी रजिस्ट्रार कानूनगो को बिना राजस्व निरीक्षक पद के प्रशिक्षण के राजस्व निरीक्षक फील्ड का कार्य न सौंपे जाने विषयक परिषदादेश संस्था वेबसाइट पर उपलब्ध है। भू-लेख नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था एवं शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार कोई भी लेखपाल हल्का विहीन रहकर यदि वेतन प्राप्त कर रहा है तो पूर्ण रूपेण अनियमित्त है। ऐसे लेखपालों को तत्काल रिक्त हल्कों पर नियुक्त कराने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कर जाय। उपरोक्त शासनादेशों/परिषदादेशों का अक्षरता अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय, शिथिलता क्षम्य न होगी।

आन्दोलन की समीक्षात्मक स्थिति एवं प्राप्त कार्यवृत्त में उल्लिखित सहमत के बिन्दुओं पर सर्वोच्च समिति एवं जनपदों से प्राप्त फीड बैक आदि के व्यापक समीक्षा के उपरान्त पूर्व में घोषित आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में चल रहे आन्दोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि जो भी शासकीय/जनहित के कार्य पिछड़ गये हों तत्काल परिश्रम करके उन्हें पूर्ण करने का कष्ट करें। प्रदेश के सभी साथियों से यह भी अनुरोध है कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे संस्था की छवि पर कुप्रभाव पड़े एवं संवर्ग को सामाजिक क्षति उठानी पड़े।

आप सभी के उज्जवल एवं सुखमय भविष्य के लिए प्रधान कार्यालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। भविष्य में भी ईमानदारी पूर्ण सक्रिय सहयोग की प्रत्याशा में भाई-चारे की भावना के साथ पुनः आभार सहित सादर प्रेषित।

भवदीय

10.11.14

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामन्त्री